



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2018/कार्तिक 29, 1940

No. 834]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018/KARTIKA 29, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 1135(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 26 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा की 53 उप-धारा (2) खंड (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन, केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (लेखों का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" का अर्थ (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) है।

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप हैं।

(ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची हैं।

(2) पदों और शब्दों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. लेखों और अन्य संबद्ध अभिलेखों का वार्षिक विवरण.—(1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह महीने की किसी अवधि के अवसान पर, उस अवधि के संदर्भ लेखे एवं रिकॉर्ड इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 'क', प्ररूप 'ख' और प्ररूप 'ग' तथा अनुसूचियों में तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण के अनुमोदित लेखों के विवरण प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु वर्ष के समाप्ति के पश्चात् तीन माह के भीतर अग्रेषित किए जाएंगे।

(3) प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने के बाद लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण के वार्षिक लेखों के विवरण, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित हो, संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे।

4. **लेखों आदि का अनुरक्षण.**—प्राधिकरण नियम 3 में निर्दिष्ट तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्तीय वर्ष जिससे वह संबंधित है, के पश्चात्तवर्ती 5 वर्षों तक सुरक्षित रखेगा।

प्ररूप क

[देखें नियम 3 (1)]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि/रु.)

		अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आधारभूत / पूंजीगत निधि और देयताएँ			
1.	आधारभूत / पूंजीगत निधि	1		
2.	भंडार और अधिशेष	2		
3.	आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	3		
4.	सुरक्षित ऋण और उधारी	4		
5.	असुरक्षित ऋण और उधारी	5		
6.	आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
7.	मौजूदा देनदारियों और प्रावधान	7		
	कुल			
	आस्तियां			
1.	अचल आस्ति	8		
2.	निवेश - आरक्षित एवं अधिशेष निधियों से	9		
3.	निवेश-अन्य	10		
4.	मौजूदा आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11		
5.	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया हो अथवा समायोजित नहीं किया गया हो)			
	कुल			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स	26		

नोट: - तुलनपत्र की सभी अनुसूचियां लेखों का भाग होंगी।

प्ररूप ख
[देखें नियम 3 (1)]
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
31 मार्च 20__ को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि/रु.)

	आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सेवाओं से आय	12		
2.	अनुदान / सब्सिडी	13		
3.	शुल्क /अभिदान	14		
4.	निवेश से आय (निधि में अंतरित निर्धारित अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15		
5.	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
6.	अर्जित व्याज	17		
7.	अन्य आय	18		
8.	तैयार सामग्री के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और प्रगतिरत कार्य	19		
	कुल (क)			
	व्यय			
1.	स्थापना व्यय	20		
2.	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21		
3.	परिचालन व्यय	22		
4.	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23		
5.	व्याज	24		
6.	मूल्यहास साल के अंत में नेट) अनुसूची- 8 के तदनु रूप			
	कुल (ख)			
	व्यय पर आय की अतिरिक्त शेष राशि (क - ख) स्पेशल रिजर्व में स्थानांतरण हेतु (प्रत्येक निर्दिष्ट करें) जनरल रिजर्व से / को स्थानांतरण			
	शेष बतौर अधिशेष / (घाटा) आधारभूत / पूंजीगत निधि के लिए			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स	26		

नोट: - आय और व्यय लेखों की सभी अनुसूचियां लेखों का भाग होंगी

प्ररूप ग
[दिखें नियम 3 (1)]
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
31 मार्च 20__ को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि/रु.)

(1)	प्राप्तियां (2)	चालू वर्ष (3)	गत वर्ष (4)
1.	प्रारंभिक शेष		
क.	नकदी		
ख.	बैंक राशि		
i.	चालू खातों में		
ii.	जमा खातों में		
iii.	बचत खाते		
2.	प्राप्त अनुदान सब्सिडी /		
क.	भारत सरकार से		
i.	अनुदान सहायता: सामान्य		
ii.	अनुदान सहायता : वेतन		
iii.	अनुदान सहायता : पूंजी		
ख.	राज्य सरकार से		
ग.	अन्य सूत्रों से (विवरण) पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए।		
3.	सेवाओं से आय		
4.	निवेश से आय		
क.	निर्धारित /अक्षय निधि		
ख.	स्वयं की निधि(अन्य निवेश)		
5.	प्राप्त ब्याज		
क.	बैंक जमा राशियों पर		
ख.	ऋण, अग्रिम आदि		
ग.	अन्य		
6.	अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
7.	उधार ली गई राशि		
8.	अन्य प्रप्तियां (विवरण दें)		
क.	एनपीएस		
ख.	छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान		
ग.	प्रतिभूति / बयाना जमा		
घ.	अग्रिमों की वापसी		
i.	गृह निर्माण अग्रिम		
ii.	कार अग्रिम		
iii.	मोटर साइकिल/ स्कूटर अग्रिम		
iv.	कम्प्यूटर अग्रिम		
v.	अन्य अग्रिम		
ड.	आयकर		

च.	सेवा कर		
छ.	विविध प्राप्तियां		
	कुल		
	भुगतान		
1.	स्थापना व्यय (अनुसूची 18 के अनुरूप)		
2.	अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 19 के अनुरूप)		
3.	परिचालन खर्च (अनुसूची 22 के अनुरूप)		
4.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान भुगतान के ब्यौरे प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित निधि या परियोजना के नाम के साथ दिखाए जाने चाहिए।		
5.	किए गए निवेश और जमा राशि		
क.	निर्धारित अक्षय निधि से		
ख.	स्वयं के धन से (निवेश-अन्य)		
6.	अचल आस्ति और पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय		
क.	अचल आस्तियों की खरीद		
ख.	पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय		
7.	अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
क.	भारत सरकार को		
ख.	राज्य सरकार को		
ग.	अन्य धन प्रदाताओं को		
8.	वित्त प्रभार (ब्याज)		
9.	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
क.	एनपीएस		
ख.	छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान		
ग.	प्रतिभूति / बयाना जमा		
घ.	अग्रिम		
i.	गृह निर्माण अग्रिम		
ii.	कार अग्रिम		
iii.	मोटर साइकिल / स्कूटर अग्रिम		
iv.	कम्प्यूटर अग्रिम		
v.	अन्य अग्रिम		
ड.	आयकर		
च.	सेवा कर		
छ.	विविध भुगतान		
10.	अंत शेष		
क.	नकदी		
ख.	बैंक बकाया		
i.	चालू खातों में		
ii.	जमा खातों में		
iii.	बचत खातों में		
	कुल		

अनुसूची 1**[दिखें प्ररूप क]****भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण****आधारभूत राशि / पूंजीगत निधियां****31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया****(राशि/रु.)**

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)
वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार शेष राशि		
जोड़: आधारभूत राशि / पूंजीगत निधि हेतु योगदान		
जोड़ / (घटा): आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय / (व्यय) के शेष		
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार शेष राशि		

अनुसूची 2**[दिखें प्ररूप क]****भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण****आरक्षित और अधिशेष****31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया****(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आरक्षित पूंजी		
	पिछले अकाउंट के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
2.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
	पिछले लेखों के मुताबिक		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
3.	विशेष आरक्षित		
	पिछले अकाउंट के मुताबिक		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
4.	सामान्य आरक्षित		
	पिछले लेखों के मुताबिक		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
	कुल		

अनुसूची 3

[दिखें प्ररूप क]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

निर्धारित / अक्षय निधियां

31 मार्च 20___ की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

(1)	विवरण (2)	निधि-वार विवरण				कुल	
		निधि WW (3)	निधि XX (4)	निधि YY (5)	निधि ZZ (6)	वर्तमान वर्ष (7)	पिछला वर्ष (8)
1.	निधियों का अथ शेष						
2.	निधियों के लिए परिवर्धन						
क.	दान/अनुदान						
ख.	निधि के निवेश से आय						
ग.	अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)						
	कुल (1 + 2)						
3.	निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय						
क.	पूँजीगत व्यय						
i.	अचल आस्ति						
ii.	अन्य						
	कुल						
ख.	राजस्व व्यय						
i.	वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
ii.	किराया						
iii.	अन्य प्रशासनिक व्यय						
	कुल						
	कुल (3)						
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1 + 2 -3)						
	टिप्पणियाँ						
	1. अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।						
	2. केन्द्रीय / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए।						

अनुसूची 4
[दिखें प्ररूप क]
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
जमानती ऋण और उधार
31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्र सरकार		
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3.	वित्तीय संस्थाएं		
क.	मियादी ऋण		
	उपचित ब्याज और देय		
4.	बैंक:		
क.	मियादी ऋण		
	उपचित ब्याज और देय		
ख.	अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपचित ब्याज और देय		
5.	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		
6.	डिबेंचर और बांड		
7.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 5
[दिखें प्ररूप क]
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
अनारक्षित ऋण और उधार
31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्र सरकार		
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3.	वित्तीय संस्थाएं		
क.	मियादी ऋण		
	उपचित ब्याज और देय		
4.	बैंक:		
क.	मियादी ऋण		
	उपचित ब्याज और देय		

ख.	अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपचित ब्याज और देय		
5.	अन्य संस्थाएं और एजेंसियां		
6.	डिबेंचर और बॉन्ड		
7.	सावधि जमा		
8.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 6

[दिखें प्ररूप क]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

आस्थगित ऋण देयताएं

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पूँजी उपकरणों और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्राप्त स्वीकृतियां		
2.	अन्य		
	कुल		
	नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 7

[दिखें प्ररूप क]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	वर्तमान देयताएं		
1.	स्वीकृतियां		
2.	विविध लेनदार		
क.	माल हेतु		
ख.	अन्य		
3.	प्राप्त अग्रिम		
4.	उपचित अदेय ब्याज:-		
क.	जमानती ऋण/उधार		
ख.	गैर-जमानती ऋण/उधार		
5.	सांविधिक देयताएं:-		

अनुसूची 10
[दिखें प्ररूप क]
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
अन्य निवेश
31 मार्च 20___की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरकारी प्रतिभूतियां		
2.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		
3.	शेयर		
4.	डिबेंचर और बांड		
5.	सहायक कंपनियां और संयुक्त वेंचर्स		
6.	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)		
	कुल		

अनुसूची 11
[दिखें प्ररूप क]
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि
31 मार्च 20___की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
ए.	वर्तमान संपत्ति		
1.	वस्तु सूची:—		
क.	स्टोर और स्पेयर्स		
ख.	अबद्ध उपकरण		
ग.	व्यापारिक स्टॉक		
i.	तैयार सामग्री		
ii.	प्रगतितर - कार्य		
iii.	कच्चा माल		
2.	विविध देनदार		
क.	छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
ख.	अन्य		
3.	हस्तगत रोकड़ (चेक / ड्राफ्ट एवं इम्प्रेस्ट सहित)		
4.	बैंकों में शेष राशि		
क.	अनुसूचित बैंकों के साथ		
i.	चालू खातों में		
ii.	मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)		

iii.	बचत बैंक जमा खातों में		
ख.	गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ:—		
i.	चालू खातों में		
ii.	मियादी जमा खातों में		
iii.	बचत बैंक जमा खातों में		
5.	डाकघर बचत खाते—		
6.	अन्य		
	कुल (बी)		
बी.	बी. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां		
1.	ऋण		
क.	अधिकारी/कर्मचारी		
ख.	संस्था के समान कार्यक्रमों/ उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं।		
ग.	अन्य (स्पष्ट करें)		
2.	नकदी या वस्तु में या प्राप्त्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि		
क.	पूंजी खाते में		
ख.	पूर्व-भुगतान		
ग.	प्रतिभूति जमा		
घ.	अन्य		
3.	उपाचित आय		
क.	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर		
ख.	अन्य निवेश पर		
ग.	ऋण और अग्रिम पर		
घ.	अन्य (अप्राप्त्य देय आय रूपएं सहित है)		
4.	प्राप्त्य दावे		
	कुल (बी)		
	कुल (ए + बी)		

अनुसूची 12

[दिखें प्ररूप ख]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण**सेवाओं से आय****31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया****(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रमाणीकरण सेवाएं		
2.	नामांकन सेवा		
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची 13**[दिखें प्ररूप ख]****भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण****अनुदान / सन्सिडी**

(प्राप्त किए गए अविकल्पी अनुदान और सन्सिडी)

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया**(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्र सरकार		
2.	राज्य सरकार (सरकारे)		
3.	सरकारी एजेंसियां		
4.	संस्थान/कल्याण निकाय		
5.	अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं		
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची 14**[दिखें प्ररूप ख]****भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण****शुल्क / अभिदान****31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया****(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रवेश शुल्क		
2.	वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
3.	संगोष्ठी/कार्यक्रम का शुल्क		
4.	व्यावसायिक/परामर्शी शुल्क		
5.	लाइसेंस शुल्क		
6.	अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची 15

[दिखें प्ररूप ख]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

निवेशों से आय

(निधि की अंतरित निर्धारित /अक्षण निधियों से निवेश पर आय)

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	निर्धारित कोष से निवेश		अन्य निवेश	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ब्याज				
क.	सरकार प्रतिभूतियों पर				
ख.	बांड /डिबेंचर्स				
ग.	अन्य				
2.	लाभांश:				
क.	शेयरों पर				
ख.	म्युचुअल फंड पर				
ग.	अन्य (स्पष्ट करें)				
	कुल				
	निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित				

अनुसूची 16

[दिखें प्ररूप ख]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रॉयल्टी से आय		
2.	प्रकाशनों से आय		
3.	अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची 17

[दिखें प्ररूप ङ]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अर्जित ब्याज

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सावधि जमाराशियों पर		
क.	अनुसूचित बैंकों से		
ख.	गैर-अनुसूचित बैंकों से		
ग.	संस्थानों से		
घ.	अन्य लोग		
2.	बचत खातों पर		
क.	अनुसूचित बैंकों से		
ख.	गैर-अनुसूचित बैंकों से		
ग.	डाकघर बचत खाते		
घ.	अन्य		
3.	ऋणों पर		
क.	कर्मचारियों / स्टाफ		
ख.	अन्य		
4.	ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज		
	कुल		
	नोट – स्त्रोत पर कर कटौती से सूचित किया जाए।		

अनुसूची 18

[दिखें प्ररूप ङ]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अन्य आय

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क.	स्वामित्व वाली संपत्ति		
ख.	आस्तियों अनुदान के बाहर का अधिग्रहण, या निःशुल्क प्राप्त		
2.	जारी परिनिर्धारिती नुकसानी, अर्थदंड		
3.	विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4.	किराया		
5.	विविध आय		
	कुल		

अनुसूची 19**[दिखें प्ररूप ख]****भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण****तैयार सामग्रियों के स्टॉक एवं प्रगतिरत कार्यों में वृद्धि / (कमी)****31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया****(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंतिम स्टॉक		
क.	तैयार सामग्रियां माल		
ख.	प्रगतिरत कार्य		
2.	घटाव: प्रारंभिक शेष		
क.	तैयार सामग्रियां		
ख.	प्रगतिरत कार्य		
	निवल वृद्धि / (कमी) [(1)-(2)]		

अनुसूची 20**[दिखें प्ररूप ख]****भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण****स्थापना व्यय****31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया****(राशि/रु.)**

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वेतन और मजदूरी		
2.	समयोपरि भत्ता		
3.	भत्ते और बोनस		
4.	चिकित्सा उपचार		
5.	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति		
6.	घरेलू यात्रा व्यय		
7.	विदेश यात्रा व्यय		
8.	एनपीएस अंशदान		
9.	ग्रेच्युटी अंशदान		
10.	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान		
11.	कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति एवं सेवा निवृत्ति लाभ पर व्यय		
12.	अन्य निधि हेतु अंशदान (स्पष्ट करें)		
13.	कर्मचारी कल्याण व्यय		
14.	अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची 21
[दिखें प्ररूप छ]
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि
31 मार्च 20___ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	खरीद		
2.	श्रम और प्रसंस्करण व्यय		
3.	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन		
4.	विद्युत एवं शक्ति		
5.	जल प्रभार		
6.	बीमा		
7.	मरम्मत और रख-रखाव		
8.	उत्पाद शुल्क		
9.	किराया, दर एवं कर		
10.	वाहन चालन एवं रख-रखाव		
11.	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार		
12.	मुद्रण और स्टेशनरी		
13.	यात्रा एवं वाहन व्यय		
14.	संगोष्ठी/वर्कशॉप पर व्यय		
15.	अभिदान व्यय		
16.	शुल्कों पर व्यय		
17.	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
18.	आतिथ्य व्यय		
19.	पेशेवर प्रभार		
20.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		
21.	भर्ती व्यय		
22.	अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
23.	अपलिखित अप्रतिलभ्य शेष		
24.	पैकिंग शुल्क		
25.	मालभाडा एवं अग्रेषण प्रभार		
26.	वितरण व्यय		
27.	विज्ञापन एवं प्रचार व्यय		
28.	कानूनी प्रभार		
29.	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, परिचर आदि)		
30.	अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची 22
[दिखें प्ररूप ख]
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
परिचालन खर्च

31 मार्च 20___ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नामांकन, प्रमाणीकरण और अपडेशन		
क.	पंजीयकों को सहायता		
ख.	गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)		
ग.	विज्ञापन और प्रचार		
घ.	अन्य शुल्क		
2.	प्रौद्योगिकी संचालन		
क.	कार्यालय व्यय		
ख.	किराया, दरें और कर		
ग.	पेशेवर सेवाएं / प्रबंधित सेवा प्रदाता लागत		
3.	लॉजिस्टिक्स एवं अन्य संचार		
क.	मुद्रण लागत		
ख.	डिस्पैच लागत		
ग.	टीएफएन / संपर्क केन्द्र लागत		
घ.	शिकायत निवारण संचालक		
ड.	अन्य शुल्क		
4.	आधार सक्षम अनुप्रयोग		
क.	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता		
ख.	माइक्रो एटीएम सहायता		
ग.	आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास		
घ.	एईए / राज्य संबंधित व्यक्ति		
ड.	अन्य शुल्क		
5.	अन्य समर्थन संचालन		
क.	डीएमएस		
ख.	डीएमएस - क्यूसी		
ग.	जीआरसीपी		
घ.	प्रशिक्षण एवं परीक्षण प्रमाणन /		
6.	यूबीसीसी ऑपरेशन्स		
क.	ओ ई		
ख.	ओ ए ई		
ग.	सहायता अनुदान		
7.	भौतिक सुरक्षा		
क.	वेतन		
ख.	कार्यालय व्यय		
ग.	किराया, दरें और कर		
घ.	अन्य शुल्क		

8.	सूचना प्रौद्योगिकी		
क.	कार्यालय व्यय		
ख.	किराया, दरें और कर		
ग.	व्यावसायिक सेवाएं (पीएमयू, टीएसयू, अन्य ठेके)		
घ.	अन्य व्यय		
9.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (यूआईडीएआई)		
क.	लॉजिस्टिक और अन्य संचार		
ख.	अन्य शुल्क		
	कुल		

अनुसूची 23

[दिखें प्ररूप ख]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संस्थानों / संगठनों को दिया अनुदान		
2.	संस्थानों / संगठनों को दी गई सब्सिडी		
	कुल		
	नोट - संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों अनुदान की राशि के साथ साथ सब्सिडी का भी खुलासा हो।		

अनुसूची 24

[दिखें प्ररूप ख]

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

ब्याज

31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा में शामिल किया गया एवं उसका भाग बनाया गया

(राशि/रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ब्याज		
क.	नियत ऋणों पर		
ख.	अन्य ऋणों पर		
ग.	अन्य (स्पष्ट करें)		
2.	बैंक प्रभार		
	कुल		

अनुसूची 25**[दिखें प्ररूप क एवं प्ररूप ख]****भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण****महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (निदर्शी)****31 मार्च 20__ को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग****1. लेखा प्रणाली**

जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो और लेखा की प्रोद्भवन पद्धति पर वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. निवेश

2.1 "लंबी अवधि के निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश को लागत से किया जाता है। गिरावट, अस्थायी के अलावा, अन्य के लिए प्रावधान, ऐसे निवेश की लागत को ले जाने में किया जाता है।

2.2 "वर्तमान" वर्गीकृत निवेश के रूप में लागत और उचित मूल्य की कम कीमत पर किया जाता है। इस तरह के निवेश के मूल्य पर इस कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश व्यक्तिगत रूप से माना जाता है और वैश्विक आधार पर नहीं किया जाता है।

2.3 लागत में अधिग्रहण का खर्च, जैसे ब्रोकरेज, हस्तांतरण टिकटें भी शामिल हैं।

3. अचल आस्तियां

3.1 अचल आस्तियों के अधिग्रहण आवक भाड़ा शुल्कों और करों और अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और समावेशी प्रत्यक्ष खर्च की कीमत पर किया गया है। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में संबंधित परिचालन पूर्व व्यय विशेष (परियोजना के पूरा होने से पहले लिए ऋण पर ब्याज सहित) के रूप में आस्तियों के मूल्य का पूंजीकृत हिस्सा।

3.2 गैर मौद्रिक अनुदान के माध्यम से प्राप्त की गई अचल आस्तियां (आधारभूत निधि की ओर से इतर) उल्लिखित पूंजीकृत मूल्यों के अनुरूप पूंजी आरक्षित से क्रेडिट करके है।

4. मूल्यहास

4.1 अचल आस्तियों जो चुकाई जानी हैं, के लिए मूल्यहास आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधे लाइन पद्धति पर, प्रदान किया जाता है, सिवाय विदेशी मुद्रा देनदारियों के रूपांतरण के परिणामस्वरूप होने वाली लागत समायोजन पर।

4.2 वर्ष के दौरान अचल आस्तियों से / में कटौती / परिवर्धन करने के लिए मूल्यहास यथानुपात आधार पर माना जाता है।

4.3 **₹.5000/-** या उससे कम लागत की सभी आस्तियों की लागत पूरी तरह से प्रदान की जाती है।

5. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय होने वाले खर्च वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में अपलिखित होता है।

6. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

6.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूंजी लागत के प्रति योगदान की प्रकृति का सरकारी अनुदान पूंजी रिजर्व के रूप में माना जाता है।

6.2 विशिष्ट अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में अनुदान संबंधित संपत्ति की लागत से कटौती के रूप में दिखाया गया है।

6.3 सरकारी अनुदान / सब्सिडी का परिकलन प्राप्ति के आधार पर है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का परिकलन लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर के आधार पर है।

7.2 मौजूदा परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋण और मौजूदा देनदारियों की लागत को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित कर वर्ष के अंत में परिणामी लाभ / हानि के रूप में समायोजित किया जाता है। यदि तय विदेशी मुद्रा देनदारी अचल संपत्ति से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

8. पट्टे

पट्टे का किराया व्यय पट्टा करने की संदर्भ शर्तों के अनुरूप है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर देय ग्रेच्युटी संबंधी दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया गया है।

9.2. कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान पर गणना इस धारणा सहित की जाती है कि प्रत्येक कर्मचारियों वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

अनुसूची 26**[दिखें प्ररूप क एवं प्ररूप ख]****भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण****आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स (निदर्शी)****31 मार्च 20___ को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग****1. आकस्मिक देयताएं**

1.1 संस्था के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार्य नहीं – रू. _____ (पिछले वर्ष रू. _____)।

1.2 के संबंध में:

- संस्था द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी/रू. (पिछले वर्ष रू.)।

- संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोला क्रेडिट के पत्र रू. _____ (पिछले वर्ष रू. _____)।

- बैंकों के साथ रियायती बिल : रू. _____ (पिछले वर्ष रू. _____)

1.3 के संबंध में विवादित मांगे:

- आयकर रू. _____ (पिछले वर्ष रू. _____)।

- सेवा-कर रू. _____ (पिछले वर्ष रू. _____)।

- नगरपालिका कर रू. _____ (पिछले वर्ष रू. _____)।

1.4 आदेशों के गैर निष्पादन के लिए पार्टियों से प्राप्त दावों के संबंध में, लेकिन इकाई द्वारा विवादित रू. _____ (पिछले वर्ष रू. _____)।

2. पूंजी प्रतिबद्धता

शेष ठेके के अनुमानित मूल्य पूंजी खाते पर क्रियान्वित किए जाने वाले शेष संविदा का अनुमानित मूल्य (और अग्रिमों के नेट) के लिए प्रदान नहीं किया जा रहा है _____ (पिछले वर्ष _____)

3. पट्टे आबन्ध

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत भविष्य के लिए किराया दायित्वों की राशि रू. _____ (पिछले वर्ष रू. _____)।

4. मौजूदा आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, मौजूदा आस्तियां, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्ति तुलन पत्र में दिखाई गई कम से कम कुल राशि के बराबर मूल्य की है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई आय न होने को ध्यान में रखते हुए, आयकर के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन की गणना लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दरों पर जाती है।

7. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

बतौर लेखा परीक्षकों के रूप

- कराधान मामले

- प्रबंधन सेवाओं के लिए

- प्रमाण पत्र के लिए

- अन्य कार्य

8. पिछले वर्ष के लिए संगत आंकड़े, जहां आवश्यक समझे गए, फिर से पुनःसमूहित/पुनर्व्यवस्थित कर दिए गए हैं।

9. अनुसूची 31 संलग्न हैं और वे मार्च 26 से 1 _____ के तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा एवं प्राप्ति और भुगतान लेखा के अभिन्न भाग हैं।

[फा. सं. 10(8)/2017-ईजी-III]

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2018

G.S.R. 1135(E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 53 read with sub-section (1) of section 26 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Unique Identification Authority of India (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

(b) “Form” means Form annexed to these rules;

(c) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Annual statement of accounts and other relevant records.—(1) At the expiration of a period of twelve months ending with the 31st March of every year, the Authority shall prepare its annual statement of accounts and records in Form ‘A’, Form ‘B’ and Form ‘C’ and the Schedules annexed to these rules.

(2) The approved statement of accounts of the Authority shall be forwarded by the Authority to the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf within three months after the expiry of the year for the purposes of audit.

(3) The annual statement of accounts of the Authority, as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him on his behalf, together with the audit report thereon after adoption by the Authority shall be forwarded to the Central Government for laying before both the Houses of Parliament.

4. Maintenance of accounts, etc.— The Authority shall preserve the Balance-Sheet, the Income and Expenditure Account and the Receipt and Payment Account referred to in sub-rule (1) of rule 3, for a period of five years following the financial year to which they relate.

Form A

[See rule 3 (1)]

Unique Identification Authority of India

Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

		Schedule	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<u>CORPUS/ CAPITAL FUND and LIABILITIES</u>			
1.	Corpus/ Capital Fund	1		
2.	Reserves and Surplus	2		
3.	Earmarked/ Endowment Funds	3		
4.	Secured Loans and Borrowings	4		
5.	Unsecured Loans and Borrowings	5		
6.	Deferred Credit Liabilities	6		
7.	Current Liabilities and Provisions	7		
	TOTAL			
	<u>ASSETS</u>			

1.	Fixed Assets	8		
2.	Investments – from Earmarked/Endowment Funds	9		
3.	Investments-Others	10		
4.	Current Assets, Loans, Advances etc.	11		
5.	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)			
	TOTAL			
	Significant Accounting Policies	25		
	Contingent Liabilities and Notes on Accounts	26		

Note :- All Schedules to Balance Sheet shall form part of Account.

Form B

[See rule 3 (1)]

Unique Identification Authority of India

Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__

(Amount in ₹)

		Schedule	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<u>INCOME</u>			
1.	Income from Services	12		
2.	Grants/Subsidies	13		
3.	Fees/Subscriptions	14		
4.	Income from Investments (Income on Invest, from earmarked/endowment Funds transferred to Funds)	15		
5.	Income from Royalty, Publications etc	16		
6.	Interest Earned	17		
7.	Other Income	18		
	Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19		
	TOTAL (A)			
	<u>EXPENDITURE</u>			
1.	Establishment Expenses	20		
2.	Other Administrative Expenses etc.	21		
3.	Operational Expenses	22		
4.	Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23		
5.	Interest	24		
6.	Depreciation (Net Total at the year-end – corresponding to Schedule 8)			
	TOTAL (B)			
	Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to / from General Reserve			
	BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND			
	Significant Accounting Policies	25		
	Contingent Liabilities and Notes on Accounts	26		

Note :- All Schedules to Income and Expenditure Account shall form part of Account.

Form C
[See rule 3 (1)]
Unique Identification Authority of India
Receipt and Payment Account for the year ended at 31st March 20__

(Amount in ₹)

		Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
	RECEIPTS		
1.	Opening Balances		
a.	Cash in Hand		
b.	Bank Balance		
i.	In Current Accounts		
ii.	In Deposit Accounts		
iii.	Saving Accounts		
2.	Grants/ Subsidies Received		
a.	From Government of India		
i.	Grants-in-aid: General		
ii.	Grants-in-aid: Salaries		
iii.	Grants-in-aid: Capital		
b.	From State Government		
c.	From Other Sources (Details) (Grants for Capital and Revenue Expenditure to be shown separately)		
3.	Income from Services		
4.	Income from Investment		
a.	Earmarked/Endowment Funds		
b.	Own Funds (Other investments)		
5.	Interest Received		
a.	On Bank deposits		
b.	Loans, advances etc.		
c.	Others		
6.	Other Income (Specify)		
7.	Amount Borrowed		
8.	Other receipts (give details)		
a.	NPS		
b.	Leave Salary Pension Contribution		
c.	Security/ Earnest money deposit		
d.	Refund of advances		
i.	HBA		
ii.	Car Advance		
iii.	Motor Cycle/Scooter Advance		
iv.	Computer Advance		
v.	Other Advances		
e.	Income Tax		

f.	Service Tax		
g.	Miscellaneous Receipts		
	TOTAL		
	PAYMENTS		
1.	Establishment expenses (corresponding to Sch. 18)		
2.	Other Administrative Expenses (Corresponding to Sch. 19)		
3.	Operational Expenses (Corresponding to Sch. 22)		
4.	Payment made against funds for various projects (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payment made for each project)		
5.	Investments and Deposits Made		
a.	Out of Earmarked /Endowment funds		
b.	Out of own Funds (Investment-others)		
6.	Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
a.	Purchase of fixed Assets		
b.	Expenditure on Capital Work-in-progress		
7.	Refund of surplus money/Loans		
a.	To the Government of India		
b.	To the State Government		
c.	To other providers of funds		
8.	Finance Charges (Interest)		
9.	Other Payments (Specify)		
a.	NPS		
b.	Leave Salary Pension Contribution		
c.	Security/ Earnest money deposit		
d.	Advances		
i.	HBA		
ii.	Car Advance		
iii.	Motor Cycle/Scooter Advance		
iv.	Computer Advance		
v.	Other Advances		
e.	Income Tax		
f.	Service Tax		
g.	Miscellaneous Payments		
10.	Closing Balances		
a.	Cash in Hand		
b.	Bank Balances		
i.	In Current Accounts		
ii.	In Deposit Accounts		
iii.	Savings Accounts		
	TOTAL		

Schedule 1
[See Form A]
Unique Identification Authority of India
Corpus/Capital Fund
Forming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)
Balance as at the beginning of the year		
Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Add/ (Deduct) : Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account		
BALANCE AS AT THE YEAR - END		

Schedule 2
[See Form A]
Unique Identification Authority of India
Reserves and Surplus
Forming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(3)	(4)
1. Capital Reserve		
As per last Account		
Addition during the year		
Less : Deductions during the year		
2. Revaluation Reserve		
As per last Account		
Addition during the year		
Less : Deductions during the year		
3. Special Reserves		
As per last Account		
Addition during the year		
Less : Deductions during the year		
4. General Reserve		
As per last Account		
Addition during the year		
Less : Deductions during the year		
TOTAL		

Schedule 3

[See Form A]

Unique Identification Authority of India

Earmarked/Endowment FundsForming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

(1)	PARTICULARS (2)	FUND-WISE BREAK UP				TOTAL	
		Fund WW (3)	Fund XX (4)	Fund YY (5)	Fund ZZ (6)	Current Year (7)	Previous Year (8)
1.	Opening balance of the funds						
2.	Additions to the Funds						
a.	Donations/grants						
b.	Income from Investments made on account of funds						
c.	Other additions (specify nature)						
	TOTAL (1+2)						
3.	Utilization/Expenditure towards objectives of funds						
a.	Capital Expenditure						
i.	Fixed Assets						
ii.	Others						
	Total						
b.	Revenue Expenditure						
i.	Salaries, Wages and allowance etc						
ii.	Rent						
iii.	Other Administrative expenses						
	Total						
	TOTAL (3)						
	Net Balance as at the Year-end (1 + 2 -3)						
	Notes	1) Disclosure shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants. 2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.					

Schedule 4

[See Form A]

Unique Identification Authority of India

Secured Loans and BorrowingsForming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

(1)	PARTICULARS (2)	Current Year (3)	Previous Year (4)
1.	Central Government		
2.	State Government (Specify)		
3.	Financial Institutions		
a.	Term Loans		
	Interest accrued and due		
4.	Banks:		
a.	Term Loans		
	Interest accrued and due		

b.	Other Loans (specify)		
	Interest accrued and due		
5.	Other Institutions and Agencies		
6.	Debentures and Bonds		
7.	Others (Specify)		
	TOTAL		
	Note: Amount due within one year		

Schedule 5

[See Form A]

Unique Identification Authority of India

Unsecured Loans and BorrowingsForming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Central Government		
2.	State Government (Specify)		
3.	Financial Institutions		
a.	Term Loans		
	Interest accrued and due		
4.	Banks:		
a.	Term Loans		
	Interest accrued and due		
b.	Other Loans (specify)		
	Interest accrued and due		
5.	Other Institutions and Agencies		
6.	Debentures and Bonds		
7.	Fixed Deposits		
8.	Others (Specify)		
	TOTAL		
	Note: Amount due within one year		

Schedule 6

[See Form A]

Unique Identification Authority of India

Deferred Credit LiabilitiesForming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
2.	Others		
	TOTAL		
	Note: Amount due within one year		

Schedule 7

[See Form A]

Unique Identification Authority of India

Current Liabilities and ProvisionsForming part of Balance Sheet as at 31st March 20___

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
	CURRENT LIABILITIES		
1.	Acceptances		
2.	Sundry Creditors		
a.	For Goods		
b.	Others		
3.	Advances Received		
4.	Interest accrued but not due on:		
a.	Secured Loans/borrowings		
b.	Unsecured Loans/borrowings		
5.	Statutory Liabilities		
a.	Overdue		
b.	Others		
6.	Other current Liabilities		
	TOTAL (A)		
	PROVISIONS		
1.	For Taxation		
2.	Gratuity		
3.	Superannuation/Pension contribution		
4.	Accumulated Leave Encashment		
5.	Trade Warranties/Claims		
6.	Leave salary payable		
7.	Others (Specify)		
	TOTAL (B)		
	TOTAL (A+B)		

Schedule 8
[See Form A]
Unique Identification Authority of India
Fixed Assets
Forming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost/ valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the Year- end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	FIXED ASSETS										
1.	Land										
a.	Freehold										
b.	Leasehold										
2.	Office Buildings and Data Centre:										
a.	On Freehold Land										
b.	On Leasehold Land										
c.	Ownership Flats/ Premises										
d.	Superstructures on Land not belonging to the entity										
3.	Plant Machinery & Equipment										
a.	Technology infrastructure										
b.	UBCC Infrastructure										
c.	Information Technology										
4.	Vehicles										
5.	Furniture and Fixtures										
6.	Office Equipment										
7.	Computer/Periphera ls										
8.	Electric Installations										
9.	Library Books										
10.	Other fixed assets										
	Total of current year										
	Previous year										
	Capital work-in- progress										
	TOTAL										
<i>(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)</i>											

Schedule 9

[See Form A]

Unique Identification Authority of India
Investments from Earmarked/Endowment Funds
Forming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Government Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Schedule 10

[See Form A]

Unique Identification Authority of India
Investments – Others
Forming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Government Securities		
2.	Other approved Securities		
3.	Shares		
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures		
6.	Others (to be specified)		
	TOTAL		

Schedule 11

[See Form A]

Unique Identification Authority of India
Current Assets, Loans Advances etc
Forming part of Balance Sheet as at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	CURRENT ASSETS		
1.	Inventories		
a..	Stores and Spares		

b.	Loose Tools		
c.	Stock-in-trade		
i.	Finished Goods		
ii.	Work-in-progress		
iii.	Raw Materials		
2.	Sundry Debtors		
a.	Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b.	Others		
3.	Cash in hand (including cheques/drafts and imprest)		
4.	Bank Balances		
a.	With Scheduled Banks		
i.	On Current Accounts		
ii.	On Deposit Accounts(includes margin money)		
iii.	On Savings Accounts		
b.	With non-scheduled Banks		
i.	On Current Accounts		
ii.	On Deposit Accounts		
iii.	On Savings Accounts		
5.	Post Office-Savings Accounts		
6.	Others		
	TOTAL (A)		
B.	LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1.	Loans		
a.	Staff		
b.	Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		
c.	Other (specify)		
2.	Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a.	On Capital Account		
b.	Prepayments		
c.	Security Deposits		
d.	Others		
3.	Income Accrued		
a.	On Investments from Earmarked/Endowment Funds		
b.	On Investments – Others		
c.	On Loans and Advances		
d.	Others (includes income due unrealized-Rs.....)		
4.	Claims Receivable		
	TOTAL (B)		
	TOTAL (A+B)		

Schedule 12

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Income from Services****Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__****(Amount in ₹)**

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Authentication services		
2.	Enrollment services		
3.	Others (Specify)		
	TOTAL		

Schedule 13

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Grants/Subsidies**

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__**(Amount in ₹)**

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Central Government		
2.	State Governments(s)		
3.	Government Agencies		
4.	Institutions/Welfare Bodies		
5.	International Organisations		
6.	Others (Specify)		
	TOTAL		

Schedule 14

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Fees/Subscriptions****Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__****(Amount in ₹)**

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Entrance Fee		
2.	Annual Fee/Subscription		
3.	Seminar/Program Fee		
4.	Professional/Consultancy Services		
5.	License Fee		
6.	Others (Specify)		
	TOTAL		

Schedule 15

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Income from Investments**

(Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Interest				
a.	On Govt. Securities				
b.	Other Bonds/Debentures				
c.	Others				
2.	Dividends:				
a.	On Shares				
b.	On Mutual Funds Securities				
c.	Others (Specify)				
	TOTAL				
	TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS				

Schedule 16

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Income from Royalty, Publications etc**Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Income from Royalty		
2.	Income from Publications		
3.	Others (specify)		
	TOTAL		

Schedule 17

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Interest Earned**Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	On Term Deposits		
a.	With Scheduled Banks		
b.	With Non-Scheduled Banks		
c.	With Institutions		
d.	Others		
2.	On Savings Accounts		
a.	With Scheduled Banks		
b.	With Non-Scheduled Banks		
c.	Post Office Savings Accounts		
d.	Others		
3.	On Loans		
a.	Employees/Staff		
b.	Others		
4.	Interest on Debtors and Others Receivables		
	TOTAL		
	Note – Tax deducted at source to be indicated		

Schedule 18

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Other Income**Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Profit on Sale/disposal of Assets:		
a.	Owned assets		
b.	Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2.	Liquidated damages, penalty realized		
3.	Fees for Miscellaneous Services		
4.	Rent		
5.	Miscellaneous Income		
	TOTAL		

Schedule 19

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Increase/(decrease) in Stock of Finished Goods and work-in-progress****Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__****(Amount in ₹)**

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Closing Stock		
a.	Finished Goods		
b.	Work-in-progress		
2.	Less Opening Stock		
a.	Finished Goods		
b.	Work-in-progress		
	NET INCREASE/(DECREASE) [1-2]		

Schedule 20

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Establishment Expenses****Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__****(Amount in ₹)**

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Salaries and Wages		
2.	Overtime Allowance		
3.	Allowances and Bonus		
4.	Medical Treatment		
5.	Tuition fee reimbursement		
6.	Domestic Travel Expenses		
7.	Foreign Travel Expenses		
8.	Contribution to NPS		
9.	Contribution to Gratuity Fund		
10.	Leave Salary Pension Contribution		
11.	Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
12.	Contribution to Other Fund (specify)		
13.	Staff Welfare Expenses		
14.	Other (Specify)		
	TOTAL		

Schedule 21

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Other Administrative Expenses etc.****Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__****(Amount in ₹)**

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Purchase		
2.	Labour and Processing Expenses		
3.	Cartage and Carriage Inwards		
4.	Electricity and Power		
5.	Water Charges		
6.	Insurance		
7.	Repairs and Maintenance		
8.	Excise Duty		
9.	Rent, Rates and Taxes		
10.	Vehicles Running and Maintenance		
11.	Postage, Telephone and Communication Charges		
12.	Printing and Stationary		
13.	Travelling and Conveyance Expenses		
14.	Expenses on Seminar/Workshops		
15.	Subscription Expenses		
16.	Expenses on Fees		
17.	Auditors Remuneration		
18.	Hospitality Expenses		
19.	Professional Charges		
20.	Books and Periodicals		
21.	Recruitment Expenses		
22.	Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		
23.	Irrecoverable Balances Written-off		
24.	Packing Charges		
25.	Freight and Forwarding Expenses		
26.	Distribution Expenses		
27.	Advertisement and Publicity		
28.	Legal Charges		
29.	Payment to Contractual Staff (MTOs, Office Boys, etc.)		
30.	Others (specify)		
	TOTAL		

Schedule 22

[See Form B]

Unique Identification Authority of India

Operational ExpensesForming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20__

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Enrolment, Authentication and Updation.		
a.	Assistance to Registrars		
b.	Quality Controls (Pre-ABIS)		
c.	Advertisement and Publicity		
d.	Other Charges		
2.	Technology Operations		
a.	Office Expenses		
b.	Rent, Rates & Taxes		
c.	Professional Services/Managed Service Provider Cost		
3.	Logistics and Other Communication		
a.	Printing Cost		
b.	Dispatch Cost		
c.	TFN/Contact Centre Cost		
d.	Grievance Handling Operators		
e.	Other Charges		
4.	Aadhaar Enabled Applications		
a.	ICT Assistance to States/UTs		
b.	Micro ATM Assistance		
c.	Development of Aadhaar based Applications		
d.	AEA/ State Resource Person		
e.	Other Charges		
5.	Other Support Operations		
a.	D. M. S.		
b.	D. M. S. – QC		
c.	GRCP		
d.	Training & Testing/ Certification		
6.	UBCC Operations		
a.	OE		
b.	OAE		
c.	Grants in Aid		
7.	Physical Security		
a.	Salaries		
b.	Office Expenses		
c.	Rent, Rates & Taxes		
d.	Other Charges		

8.	Information Technology		
a.	Office Expenses		
b.	Rent, Rates & Taxes		
c.	Professional Services (PMU, TSU, Other Contracts)		
d.	Other Expenses		
9.	North Eastern Areas (UIDAI)		
a.	Logistics and Other Communication		
b.	Other Charges		
	TOTAL		

Schedule 23

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Expenditure On Grants, Subsidies etc**Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20____

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Grants given to Institutions/Organisations		
2.	Subsidies given to Institutions/Organisations		
	TOTAL		
	NOTE – Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed		

Schedule 24

[See Form B]

Unique Identification Authority of India**Interest**Forming part of Income and Expenditure Account for the year ended at 31st March 20____

(Amount in ₹)

	PARTICULARS	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Interest		
a.	On Fixed Loans		
b.	On Other Loans (including Bank Charges)		
c.	Others (specify)		
2.	Bank Charges		
	TOTAL		

Schedule 25**[See Form A and Form B]****Unique Identification Authority of India****Significant Accounting Policies (Illustrative)****Forming part of Accounts for the year ended at 31st March 20____****1. ACCOUNTING CONVENTION**

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVESTMENTS

2.1. Investments classified as “long term investments” are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

2.2. Investments classified as “Current” are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

2.3. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. FIXED ASSETS

3.1. Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

3.2. Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

4. DEPRECIATION

4.1. Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax, Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

4.2. In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

4.3. Assets costing ₹ 5,000 or less each are fully provided.

2. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

3. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

6.1. Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

6.2. Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

6.3. Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

7.1. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7.2. Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of

fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

8. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

9. RETIREMENT BENEFITS

9.1. Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

9.2. Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

Schedule 26

[See Form A and Form B]

Unique Identification Authority of India**Contingent Liabilities And Notes On Accounts (Illustrative)****Forming part of Accounts for the year ended at 31st March 20__****1. CONTINGENT LIABILITIES**

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts – ₹_____ (Previous year ₹_____).

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity – ₹_____ (Previous year ₹_____).

- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity – ₹_____ (Previous year ₹_____).

- Bills discounted with banks ₹_____ (Previous year ₹_____)

1.3 Disputed demands in respect of:

Income-tax ₹_____ (Previous year ₹_____).

Service-tax ₹_____ (Previous year ₹_____)

Municipal Taxes ₹_____ (Previous year ₹_____).

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity – ₹_____ (Previous year ₹_____).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) ₹_____ (Previous year ₹_____)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to ₹_____ (Previous year ₹_____).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considerably necessary.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in foreign currencies are accounted at the prevailing exchange rates at the date of transactions.

7. REMUNERATION TO AUDITORS

As Auditors

- Taxation matters

- For Management services

- For certification

- Others

8. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged, wherever necessary.

9. Schedules 1 to 26 are annexed to, and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March _____, the Income and Expenditure Account and the Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

[F. No. 10(8)/2017-EG-II]

GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.